राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 9/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाडा, जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 22-02-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री चन्द्र स्वरूप माथुर, सलाहकार उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 15-01-2017 के द्वारा स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 15-06-2016, जो नगर परिषद् बांसवाड़ा को प्रेषित किया गया था, पर टिप्पणी निदेशालय में प्राप्त हुई हो तो उसकी प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को पत्र दिनांक 31-01-2017 से यह सूचित किया गया कि आवेदन में उल्लेखित पत्रांक से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वांछित सूचना विभाग के किस अनुभाग से संबंधित है। अतः स्पष्ट पत्रांक उल्लेखित करे, इसके बाद अपीलार्थी ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। जिसके अभाव में सूचना दिया जाना सम्भव नहीं होना बताया गया है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 18-01-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 31-01-2017 की प्रति संलग्न की गई है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त